ईसीजीसी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, मुंबई

ईसीजीसी लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) नीति, वित्तीय वर्ष 2025-26

1. प्रस्तावना

दिनांक 1 अप्रैल 2014 से, प्रत्येक कंपनी, भले ही वह प्राइवेट लिमिटेड हो अथवा पब्लिक लिमिटेड, जिसकी कुल संपत्ति रुपए 500 करोड़ हो अथवा पण्यावर्त रुपए 1,000 करोड़ हो अथवा शुद्ध लाभ रुपए 5 करोड़ हो, उनके द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व_गतिविधियों पर व्यय करना होगा। सी एस आर गतिविधियों को कारोबार के साधारण प्रक्रिया में नहीं किया जाना चाहिए एवं यह अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी गतिविधि के संबंध में होनी चाहिए।

2. विजन

कंपनी द्वारा अपनी सी एस आर पॉलिसी के ज़रिए, पर्यावरण का ध्यान रखने वाली एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी कॉर्पोरेट इकाई के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए, समाज एवं संप्रदाय के लिए निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवा, कार्य एवं प्रयत्न जारी रखी जाएगी।

3. उद्देश्य

- अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानते हुए, कंपनी में सभी स्तर पर अपने कारोबार को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी रूप से जारी रखे जाने हेतु प्रतिबद्ध रहना होगा।
- अपने विभिन्न कार्यालयों में एवं उसके आस-पास के समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से चलाना, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं कल्याण में वृद्धि हो।

- समाज के पिछड़े, कम सुविधा प्राप्त एवं सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों को लागू करना।
- अपनी सी एस आर पहलों के ज़रिए, हितधारकों के मध्य कंपनी के लिए अच्छी छवि एवं गर्व का सृजन किया जाना एवं एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी छवि को सशक्त किए जाने सहायता करना।

4. <u>गतिविधियों की व्यवस्था</u>

कंपनी की एक बोर्ड समिति होगी, जिसे आगे सी एस आर एवं धारणीय विकास समिति (सी एस आर एंड एस डी) कहा जाएगा, जिसमें तीन अथवा उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

क. <u>बोर्ड की सी एस आर एंड एस डी समिति</u>

समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती हैं एवं वर्तमान में इसमें सात और निदेशक इसके सदस्य हैं। आवश्यकता के अनुसार बोर्ड द्वारा समिति को पुनः गठित किया जा सकता है। कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई है (एक तिहाई में शामिल किसी भी अंश को एक माना जाएगा), अथवा दो निदेशक, जो भी अधिक हो, जिसमें समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं। बोर्ड को प्रत्येक तीन माह में एक रिपोर्ट दी जाती है। कमिटी की भूमिका निम्नानुसार होगी।

i. एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सोशल पॉलिसी तैयार करना एवं बोर्ड को इसकी सिफारिश करना, जिसमें अधिनियम 2013 के अनुसूची VII में उल्लेखित कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएंगी।
ii. उपरोक्त अनुच्छेद (i) में उल्लेखित गतिविधियों पर होने वाले बजट में व्यय की जाने वाली राशि की सिफ़ारिश करना।
iii. समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी किया जाना।
iv. प्रत्येक तिमाही में सी एस आर गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी किया जाना।
v. प्रत्येक मामले में रुपए 100 लाख से अधिक मौद्रिक मूल्य वाले कार्यक्रमों / परियोजनाओं / गतिविधियों की सिफारिश किया जाना।
vi. सी एस आर नियमों के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड अपनी सी एस आर समिति की सिफारिश के अनुसार एवं उस आशय का उचित औचित्य प्रदान करके, निर्धारित परियोजना अवधि के दौरान, असाधारण परिस्थितियों में, किसी चल रहे परियोजना को आंशिक रूप से अथवा सम्पूर्ण रूप से

छोड़ा जा सकता है अथवा संशोधित किया जा सकता है। किसी चल रहे परियोजना के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष का समय है, जिसमें उसके प्रारम्भ होने का वर्ष शामिल नहीं है।

vii. एक परियोजना के लिए निर्धारित बजट का उपयोग बोर्ड द्वारा सी एस आर समिति की सिफारिशों के अनुसार दूसरे परियोजना के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए लक्ष्य व्यय में परिवर्तन को सही से रिकॉर्ड किया जाएगा एवं वास्तविक आधार पर उसमें परिवर्तित किया जाएगा।

ख. <u>आंतरिक वरिष्ठ कार्यपालक समिति</u>

कंपनी की सी एस आर गतिविधियों की योजना, उन्हें लागू करने एवं निगरानी के लिए एक वरिष्ठ कार्यपालक समिति गठित की जाएगी। अ प्र नि को अधिकारियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर वरिष्ठ कार्यपालक समिति पुनः गठित किए जाने का अधिकार है।

आंतरिक वरिष्ठ कार्यपालक समिति (आई एस ई सी) की भूमिका/दायित्वों में निम्न शामिल हैं:

i. सी एस आर विभाग को पॉलिसी के अनुसार सी एस आर गतिविधियों का प्रस्ताव देना।
ii. सी एस आर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों को लागू करने के लिए एक पारदर्शी निगरानी प्रक्रिया बनाना।
iii. कंपनी के कुल सी एस आर बजट के 50% की कुल बजट सीमा के साथ प्रत्येक मामले में रुपए 100.00 लाख से अधिक के मौद्रिक मूल्य वाले कार्यक्रमों / परियोजनाओं / गतिविधियों को मंजूरी देना।

आज की तिथि में, आई एस ई सी की संरचना निम्नानुसार है:

I. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष
II. कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामलें) – वैकल्पिक अध्यक्ष
III. कार्यपालक निदेशक (परिचालन) –सदस्य
IV. महाप्रबंधक (सी एस आर) – सदस्य
V. महाप्रबंधक (मा सं वि) – सदस्य
VI. महाप्रबंधक (वित्त) – सदस्य
VII. महाप्रबंधक (ईसीआईबी) – सदस्य

कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं।

आई एस ई सी के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को आई एस ई सी अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परियोजनाओं को अगले छह माह तक बढ़ाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

5. परियोजनाएं/कार्यक्रम/गतिविधियां

वि व के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जो थीम तय की गई है, उसमें बच्चों, महिलाओं एवं समाज के पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास पॉलिसी का फोकस क्षेत्र है।

परियोजना/कार्यक्रम की गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार होंगी एवं निम्न क्षेत्रों में होंगी:

i. पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना
ii. शिक्षा
iii. सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणाली
iv. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
v. स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य
vi. पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियां
vii. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज के ज़रिए आजीविका को बढ़ावा देना।
viii. सामुदायिक केंद्र/रात्रि आश्रय स्थल/वृद्धाश्रम का निर्माण
ix. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना
x. कौशल विकास केंद्रों की स्थापना
xi. एस सी, एस टी, ओ बी सी एवं दिव्यांग वर्ग के मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप।
xii. युवाओं के लिए स्किल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास एवं प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम।
xiii. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई डी पी)
xiv. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना।
xv. प्रधानमंत्री के नेशनल रिलीफ फंड अथवा स्वच्छ भारत कोष अथवा क्लीन गंगा फंड अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी अन्य फंड में योगदान, जो सी एस आर के लिए कंपनीज़ एक्ट, 2013 के अनुसूची VII में उल्लेखित क्षेत्र अथवा विषय में गतिविधियों से जुड़े किसी भी परियोजना / कार्यक्रम के लिए हो।
xvi. पी एम केयर्स फंड
xvii. उपरोक्त उल्लेखित परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों के अतिरिक्त कोई भी परियोजना / कार्यक्रम / गतिविधि, निदेशक मण्डल की मंज़ूरी से ही प्रारम्भ की जाएगी।

6. **<u>कार्यान्वयन एजेंसी (नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर विधिवत पंजीकृत / सी एस आर1 पंजीकृत प्रमाण पत्र धारक)</u>**

सी एस आर परियोजनाएं/गतिविधियां इन एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा/के जरिए कार्यान्वित की जाएंगी/लागू की जाएंगी:

i. संप्रदाय आधारित संगठन भले ही वे औपचारिक हों अथवा अनौपचारिक।

ii. पंचायत जैसी चयनित स्थानीय संस्थाएं।

iii. संस्थान/शैक्षणिक संगठन

iv. ट्रस्ट, मिशन, एन जी ओ आदि

v. सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं स्वायत्त संगठन

vi. पब्लिक एंटरप्राइजेज की स्थायी समिति (स्कोप)

vii. दिनांक 01.04.2021 से इकाई का पंजीकरण फॉर्म सी एस आर 1 भरा जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक इकाई के लिए एक अनूठा सी एस आर पंजीकरण संख्या जेनरेट होगा।

viii. अब किसी भी पंजीकृत ट्रस्ट के बजाय केवल पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट को ही अनुमति है, सिवाय उन मामलों के जो सी जी/एस जी द्वारा स्थापित किए गए हों।

ix. संबंधित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के अतिरिक्त, आयकर के धारा 12ए एवं 80जी के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है।

7. **<u>वित्तीय संसाधन</u>**

वार्षिक बजट:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी द्वारा सी एस आर बजट के रूप में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के शुद्ध लाभ के औसत का कम से कम 2% अंश पृथक रूप से रखा जाएगा।

8. **<u>सी एस आर व्यय एवं बजटीय आवंटन</u>**

भारत में की गई सी एस आर गतिविधियां ही सी एस आर व्यय मानी जाएंगी। सी एस आर व्यय में बोर्ड द्वारा सी एस आर समिति की सिफारिश पर मंज़ूर की गई सी एस आर गतिविधियों के लिए मंजूर फंड्स (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) में योगदान सहित सभी व्यय शामिल होंगे, परंतु इसमें इस प्रकार का कोई

व्यय शामिल नहीं होगा जो अधिनियम की अनुसूची के VII के दायरे में आने वाली गतिविधियों के अनुरूप अथवा उनके लाईन में नहीं हो।

क. थीमेटिक कार्यकर्म के लिए सी एस आर व्यय, वार्षिक सी एस आर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए।

ख. आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग. सी एस आर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों से होने वाला कोई भी अधिशेष निगम के कारोबार लाभ का अंश नहीं होगा।

9. <u>सी एस आर व्यय – अव्ययित राशि का ट्रीटमेंट</u>

9.1 चल रहे परियोजना से संबंधित अव्ययित राशि: यदि कोई राशि किसी चल रहे परियोजना से संबंधित नहीं है, तो उसे व्यय नहीं किए जाने की स्थिति में, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह माह के भीतर, उसे अनुसूची VII में उल्लिखित फंड में ट्रांसफर करना होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा रिपोर्ट में व्यय नहीं किए जाने के कारणों का भी खुलासा करना होगा। इसलिए, वित्तीय 2025-26 के लिए अव्ययित राशि (चल रहे परियोजना के अतिरिक्त) दिनांक 30 सितंबर 2026 तक अनुसूची VII फंड में ट्रांसफर की जाएगी।

9.2 चल रहे परियोजना से संबंधित के अलावा– इसे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर कंपनी द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में खोले गए एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसे अव्ययित कॉर्पोरेट सोशल दायित्व अकाउंट (यू सी एस आर ए) कहा जाएगा। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अव्ययित राशि (चल रहे परियोजना), को दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक यू सी एस आर ए में ट्रांसफर किया जाएगा।

9.3 चल रहे परियोजना से जुड़े बिना व्यय किए गए राशि को व्यय किए जाने हेतु अधिक समय:
यह राशि इस प्रकार के ट्रांसफर की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों के भीतर व्यय किया जाएगा, ऐसा नहीं होने पर, कंपनी द्वारा तीसरे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उस राशि को अनुसूची VII में उल्लेखित फंड में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए, वि व 2025-26 के लिए यू सी एस आर ए को ट्रांसफर की गई अव्ययित राशि को वि व 2028-29 तक परियोजना के लिए उपयोग करना होगा, नहीं तो इसे अनुसूची VII में उल्लेखित फंड में ट्रांसफर किया जाएगा।

10. निगरानी

निगरानी प्रक्रिया दो-टियर मैकेनिज्म के ज़रिए होगा:

1. तिमाही आधार पर बोर्ड की सी एस आर समिति
2. तिमाही आधार पर वरिष्ठ कार्यपालक समिति।

आवश्यकता के अनुसार, निर्धारित परियोजना के मूल्यांकन किए जाने हेतु एक पेशेवर निगरानी / प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी को कार्य सौपा जाएगा। इस प्रकार की निगरानी / प्रभाव मूल्यांकन का व्यय परियोजना की लागत का अंश नहीं होगा। यह व्यय अलग से रिपोर्ट किया जाएगा, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कंपनीज़ (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पॉलिसी) संशोधन नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार प्रभाव मूल्यांकन के रूप में उल्लेखित है। कार्मिकों के कार्यालयीन दौरों के लिए अथवा निगरानी के उद्देश्य से होने वाले व्यय (i) अथवा दस्तावेज़ / रिकॉर्ड्स (फिजिकल/डिजिटल/मीडिया) इत्यादि विकसित किए जाने हेतु व्यय (ii) प्रशासनिक व्ययों का अंश होंगे।

11. स्थानीय क्षेत्र

स्थानीय क्षेत्र का अर्थ ईसीजीसी के प्र का एवं क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय के आस-पास का क्षेत्र हैं।

12. सरकारी दिशानिर्देश:

कंपनी द्वारा सी एस आर के संबंध में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू दिशानिर्देशों का पालन की जाएगी। ये दिशानिर्देश स्वतः पॉलिसी का अंश बन जाएंगी।

===00===